न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 87/2021

रामलाल वगै0 बनाम रंगलाल वगै0

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् जारी निर्णय दिनांक 27.12.2021 के संबंध में संशोधन आदेश अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 152 व 151 सी0पी0सी0 के तहत्

निर्णय दिनांक 07/01/2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सुण्डाराम द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय के पेज नम्बर 4 पर पैरा सं0 3.1 के अन्तर्गत सहवन एवं भूल से किसी अन्य प्रकरण से संबंधित तथ्य टाईप हो गये है, इसके अलावा निर्णय के पेज नम्बर 5 में पैरा सं0 3.2 व 4.1 एवं पेज नम्बर 6 पर पैरा सं0 4.2 एवं पेज नम्बर 7 के ऊपर का भाग सहवन एवं भूल से किसी अन्य प्रकरण के तथ्य टाईप हो गये है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त समस्त पैराओं में अंकित समस्त तथ्यों का पुनर्विलोकन करते हुए संशोधित किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 152 व 151 सी0पी0सी0 एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 152 व 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता है। अतः उक्त संशोधन आदेश अनुसार निर्णय दिनांक 27.12.2021 के बिन्दु सं0 3.1 लगायत 4.2 के स्थान पर निम्न अंकन पढ़ा एवं समझा जावे शेष आदेश पूर्वानुसार यथावत रहेगा :–

3.1 अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम खातौली के सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 345 एंकीकरण खसरा नम्बर 345/7 भू संशोधन खसरा नम्बर 52 की कुल 5 बीघा वादग्रस्त भूमि कालू उर्फ तेजा वल्द देवा गुर्जर के एक मात्र वैध स्वामित्व व आधिपत्य की आवंटित कृषि आराजी है एवं ग्राम खातौली के वादग्रस्त वर्तमान खसरा नम्बर 52 की 5 बीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता कालू उर्फ तेजा वल्द देवा गुर्जर का से[illegible] समय से ही कब्जा काश्त रहा था और निरन्तरण कब्जे [illegible] विधि अनुसार कालू उर्फ तेजा गुर्जर को आवंटि[illegible]दारी में सम्वत् 2041 जमाबन्दी) में दर्ज की गयी कालू उर्फ तेजा गुर्ज[illegible] निधन के बाद विधि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

वादग्रस्त भूमि का विरासत नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 147.01.1985 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा स्वीकृत किया गया और वादग्रस्त कृषि आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के गैर खातेदारी में सम्वत् 2042–2045 में दर्ज की गयी। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का सतत कब्जा काश्त रहने से राजस्व रिकार्ड (सम्वत) 2046–49 व सम्वत् 2050–53 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के गैर खातेदारी में दर्ज करने के उपरान्त विधि अनुसार खातेदारी अधिकार सम्वत् 2054 में प्रदान किए गए और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) सम्वत् 2054–2057 में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 17.05.1995 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त भूमि देवाराम उर्फ देवा वल्द रूपा गुर्जर की कब्जे काश्त खातेदारी की नही वरन् उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कालू उर्फ तेजा गुर्जर की आवंटित कृषि आराजी है जिस पर कालू उर्फ तेजा गुर्जर के निधन के बाद उसके विधिक वारिसान् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही एक मात्र हक व अधिकार है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त तथ्यों को छिपाकर देवा के पुत्र कालू उर्फ तेजा गुर्जर को नाऔलाद फौत अंकित कर दिया है जो पूर्णतया गलत हैं अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के पिता का नाम कालू उर्फ तेजा गुर्जर है जो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 से प्रमाणित होता है एवं प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि आराजी पर कोई विधिक स्वत्व, हक, अधिकार व कब्जा काश्त नही हैं ऐसी स्थिति में **No Possession no injuction** का सिद्धान्त प्रभावी होता हैं इस आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही स्वीकार योग्य नही हैं प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि देवा वल्द रूपा गुर्जर के कब्जे काश्त खातेदारी की हो इस बाबत कोई दस्तावेज भी पत्रावली में पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि आराजी की श्रैणी में नही आती हैं प्रार्थीगण ने कालू उर्फ तेजा गुर्जर को अपना पूर्वाधिकारी बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर उसे फौत बताकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधि अनुसार पोषणीय नही हैं वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता कालू उर्फ तेजा गुर्जर के कब्जे काश्त की थी और उसके निधन के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 व नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 17.05.1995 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 व नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 17.05.1995 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है जिसकी कोई अपील धारा 75 भू राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

किशनगढ़ (अजमेर)

अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक नही की गयी है जो एक स्वीकृत तथ्य है। जवाबकर्ता द्वारा अपने चरणवार प्रतिउत्तर में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में अंकित सजरा गलत है। कालू उर्फ तेजा वल्द देवा गुर्जर प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी नहीं है वरन् अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पूर्वाधिकारी है। वादग्रस्त ख0नं0 345/7 वर्तमान ख0नं0 52 की 05 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता कालू उर्फ तेजा गुर्जर के एक मात्र कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जिस पर एक मात्र स्वत्व व अधिकार अप्रार्थी सं0 1 व 2 का ही है। कालू उर्फ तेजा गुर्जर नाऔलाद फौत नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में कालू उर्फ तेजा गुर्जर के निधन के बाद अप्रार्थी सं0 1 व 2 का नाम विधि अनुसार अंकित हो गया है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है। विरासत नामान्तकरण सं0 306 दिनांक 14.01.1985 शून्य नहीं है वरन् पूर्णतया वैध है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत् घोषणात्मक डिक्री का वाद किसी विधिक हक व अधिकार के प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि पर कालू उर्फ तेजा गुर्जर के निधन के पश्चात् अप्रार्थी सं0 1 व 2 के कब्जे काश्त खातेदारी में अंकित है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने वादग्रस्त भूमि पर खरीफ की फसल काश्त कर रखी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है, वरन् अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है तथा वादग्रस्त भूमि पर सम्वत् 2042 से बदस्तूर निरन्तर आज तक कब्जा काश्त अप्रार्थी सं0 1 व 2 का ही है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 12 में वर्णित अनुतोष अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नही है क्योंकि वादग्रस्त खसरा नम्बर 345/7 वर्तमान खसरा नम्बर 52 की 5 बीघा भूमि एक मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। और विधि के प्रावधान अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

4. उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान [illegible] पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि [illegible]ी/मूल खातेदार कूल पुत्र देवा जाति गुर्जर [illegible]दारी आराजी थी। जो प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी कालू पूत्र देवा नाऔलाद, निर्वि[illegible] फौत होने से प्रार्थीगण ही एकमात्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

वारीस व उत्तराधिकारी हैं एवं मृतक खातेदार व प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व कर्मचारीयों से मिली भगत करके उपरोक्त आराजी के पूर्व खसरा नम्बर 345/7 के वर्तमान खसरा नम्बर 52 में कालू पुत्र देवा के फर्जी वारिसान बनकर विरासत नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 को खुलवा लिया गया है जो गलत व प्रारम्भ से ही शून्य व प्रार्थीगण के हित–अधिकारों पर निष्प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं मृतक खातेदार के बीच में कोई पारिवारिक सम्बन्ध नही थे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता का तेजा नाम है जो अप्रार्थी 1 व 2 के राशनकार्ड से प्रमाणित है। मूल खातेदार कालू पुत्र देवा के वारीस व उत्तराधिकार प्रार्थीगण ही है। प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है चुंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा फर्जी तरीके से मूल खातेदार कालू पुत्र देवा के फर्जी वारिस बनकर विरासत नामान्तरण खुलवा लिया है एवं उपरोक्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, शक्ल परिवर्तन, रहन करने पर आमादा है अगर अप्रार्थीगण द्वारा अपने अवैध मन्सुबे मे कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थीगण को अपुर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषैधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त वादवर्णित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग एवं कृषकीय कार्य में बाधा कारित नही करे, एवं उपरोक्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण, रहन, शक्ल परिवर्तन नही करे।

4.2 वकील अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता कालू उर्फ तेजा वल्द देवा गुर्जर का सेटलमेन्ट के समय से ही कब्जा काश्त रहा था और निरन्तरण कब्जे काश्त के आधार पर वादग्रस्त भूमि विधि अनुसार कालू उर्फ तेजा गुर्जर को आवंटित की जाकर गैर खातेदारी में सम्वत् 2041 (वर्किंग जमाबन्दी) में दर्ज की गयी कालू उर्फ तेजा गुर्जर के निधन के बाद विधि अनुसार वादग्रस्त भूमि का विरासत नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 147.01.1985 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा स्वीकृत किया गया और वादग्रस्त कृषि आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के गैर खातेदारी में सम्वत् 2042–2045 में दर्ज की गयी। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] सतत कब्जा काश्त रहने से राजस्व रिकार्ड (सम्वत) 204[illegible] अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के गैर खातेदारी में दर्ज करने [illegible] खातेदारी अधिकार सम्वत् 2054 में प्रदान किए गए और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 [illegible] नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

सम्वत् 2054–2057 में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 17.05.1995 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त भूमि देवाराम उर्फ देवा वल्द रूपा गुर्जर की कब्जे काश्त खातेदारी की नही वरन् उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कालू उर्फ तेजा गुर्जर की आवंटित कृषि आराजी है जिस पर कालू उर्फ तेजा गुर्जर के निधन के बाद उसके विधिक वारिसान् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही एक मात्र हक व अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर देवा के पुत्र कालू उर्फ तेजा गुर्जर को नाऔलाद फौत अंकित कर दिया है जो पूर्णतया गलत हैं अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के पिता का नाम कालू उर्फ तेजा गुर्जर है जो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 से प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि देवा वल्द रूपा गुर्जर के कब्जे काश्त खातेदारी की हो इस बाबत कोई दस्तावेज भी पत्रावली में पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि आराजी की श्रैणी में नही आती हैं प्रार्थीगण ने कालू उर्फ तेजा गुर्जर को अपना पूर्वाधिकारी बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर उसे फौत बताकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधि अनुसार पोषणीय नही है।

आदेश मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2021

1. रामलाल पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर उम्र 50 निवासी ग्राम खातौली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. सरजू देवी पत्नि हजारीलाल जाति गुर्जर उम्र 70 निवासी ग्राम खातौली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. रंगलाल पुत्र तेजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातोली हाल निवासी सरस्वती कॉलोनी, डिप्टी ऑफिस के सामने तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. हरदेव पुत्र तेजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातौली हाल निवासी नायको का मोहल्ला, श्रीनगर रोड़ चुंगी चौकी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान तहसील
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 27/12/2021

उपस्थितः श्री सुण्डाराम जाट — प्रार्थीगण अभिभाषक

श्री रामदेव गुर्जर — अप्रार्थीगण सं0 1 व 2

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री धनराज शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि आराजी मूल खातेदार कालू पुत्र देवा जाति गुर्जर जो प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी की खातेदारी की आराजी ग्राम रहीमपुरा तहसील किशनगढ़ जिला के पूर्व खसरा नम्बर 345/7 के वर्तमान खसरा नम्बर 52 रकबा 0.8090 किस्म बारानी द्वितीय भूमि स्थित हैं उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी/मूल खातेदार कूल पुत्र देवा जाति गुर्जर निवासी खातौली की खातेदारी आराजी थी। पूर्वाधिकारी कालू पुत्र देवा नाऔलाद, निर्वसियत फौत होने से प्रार्थीगण ही एकमात्र वारीस व उत्तराधिकारी हैं एवं मृतक खातेदार व प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व कर्मचारीयों से मिली भगत कर उपरोक्त आराजी के पूर्ण खसरा नम्बर 345/7 के वर्तमान खसरा नम्बर 52 में कालू पुत्र देवा के फर्जी वारिसान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

बनकर विरासत नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 को खुलवा लिया गया है जो गलत व प्रारम्भ से ही शून्य व प्रार्थीगण के हित–अधिकारों पर निष्प्रभावी है चुंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं मृतक खातेदार के बीच में कोई पारिवारिक सम्बन्ध नही थे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता का तेजा नाम है जो अप्रार्थी 1 व 2 के राशनकार्ड से प्रमाणित है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के हक–अधिकार व पैतृक भूमि है जिसमें अप्रार्थी उत्तराधिकार प्रार्थीगण ही हैं चुंकि कालू पुत्र देवा नाऔलाद फौत हो गया था जो प्रार्थीगण के पिता/पति हजारी लाल पुत्र देवा का सगा भाई है इस कारण प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी में प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय में वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। एवं प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है चुंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा फर्जी तरीके से मूल खातेदार कालू पुत्र देवा के फर्जी वारिस बनकर विरासत नामान्तरण खुलवा लिया है एवं उपरोक्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, शक्ल परिवर्तन, रहन करने पर आमादा है अगर अप्रार्थीगण द्वारा अपने अवैध मन्सुबे मे कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थीगण को अपुतनीय क्षति कारित होगी अतः प्रार्थीगण की पैतृक कृषि आराजी मूल खातेदार कालू पुत्र देवा जाति गुर्जर जो प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी कालू पुत्र देवा की खातेदारी की आराजी ग्राम रहीमपुरा तहसील किशनगढ़ जिला के पूर्व खसरा नम्बर 345/7 के वर्तमान खसरा नम्बर 52 रकबा 0.8090 किस्म बारानी द्वितीय भूमि में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त वादवर्णित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग एवं कृषकीय कार्य में बाधा कारित नही करे, एवं उपरोक्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण, रहन, शक्ल परिवर्तन नही करने बाबत् ताफैसला मूल वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जाने का निवदेन किया।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से वकील श्री गोविन्द दास पुरोहित द्वारा दिनांक 26.07.2021 को जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 एवं प्रतिअस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 3 व 4 की ओर से जवाब पेश नही करने पर उनका जबाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

3.1 अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि यह ग्राम खातौली के सेटमेन्ट खसरा नम्बर 345 एंकीकरण खसरा नम्बर 345/7 भू संशोधन खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

52 की कुल 5 बीघा वादग्रस्त भूमि कालू उर्फ तेजा वल्दा देवा गुर्जर के एक मात्र वैध स्वामित्व व आधिपत्य की आवंटित कृषि आराजी है एवं ग्राम खातौली के वादग्रस्त वर्तमान खसरा नम्बर 52 की 5 बीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता कालू उर्फ तेजा वल्द देवा गुर्जर का सेटलमेन्ट के समय से ही कब्जा काश्त रहा था और निरन्तरण कब्जे काश्त के आधार पर वादग्रस्त भूमि विधि अनुसार कालू उर्फ तेजा गुर्जर को आवंटित की जाकर गैर खातेदारी में सम्वत् 2041 (वर्किंग जमाबन्दी) में दर्ज की गयी कालू उर्फ तेजा गुर्जर के निधन के बाद विधि अनुसार वादग्रस्त भूमि का विरासत नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 147.01.1985 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा स्वीकृत किया गया और वादग्रस्त कृषि आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के गैर खातेदारी में सम्वत् 2042–2045 में दर्ज की गयी। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का सतत कब्जा काश्त रहने से राजस्व रिकार्ड (सम्वत) 2046–49 व सम्वत् 2050–53 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के गैर खातेदारी में दर्ज करने के उपरान्त विधि अनुसार खातेदारी अधिकार सम्वत् 2054 में प्रदान किए गए और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) सम्वत् 2054–2057 में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 17.05.1995 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त भूमि देवाराम उर्फ देवा वल्द रूपा गुर्जर की कब्जे काश्त खातेदारी की नही वरन् उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कालू उर्फ तेजा गुर्जर की आवंटित कृषि आराजी है जिस पर कालू उर्फ तेजा गुर्जर के निधन के बाद उसके विधिक वारिसान् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही एक मात्र हक व अधिकार है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त तथ्यों को छिपाकर देवा के पुत्र कालू उर्फ तेजा गुर्जर को नाऔलाद फौत अंकित कर दिया है जो पूर्णतया गलत हैं अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के पिता का नाम कालू उर्फ तेजा गुर्जर है जो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 से प्रमाणित होता है एवं प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि आराजी पर कोई विधिक स्वत्व, हक, अधिकार व कब्जा काश्त नही हैं ऐसी स्थिति में **No Possession no injuction** का सिद्धान्त प्रभावी होता हैं इस आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया [illegible] र योग्य नही हैं प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि देवा वल्द रूपा [illegible] हो इस बाबत कोई दस्तावेज भी पत्रावली में पेश [illegible] ति में वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि आराजी की श्रैणी में नही आती हैं प्रार्थीगण [illegible] कालू उर्फ तेजा गुर्जर को अपना पूर्वाधिकारी बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर उसे फौत बताकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पेश किया है जो विधि अनुसार पोषणीय नही हैं वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता कालू उर्फ तेजा गुर्जर के कब्जे काश्त की थी और उसके निधन के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 व नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 17.05.1995 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 व नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 17.05.1995 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है जिसकी कोई अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक नही की गयी है जो एक स्वीकृत तथ्य है। प्रार्थीगण इस अनुच्छेद में वर्णित अनुतोष अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नही है क्योंकि वादग्रस्त खसरा नम्बर 345/7 वर्तमान खसरा नम्बर 52 की 5 बीघा भूमि एक मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। और विधि के प्रावधान अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। सही है कि ग्राम ढाणी पुरोहितान के ख0नं0 48 रकबा 13–02–00 भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का हिस्सा निहित है। जवाबकर्ता सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को दिनांक 20.05.2014 को विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया था। उक्त आराजी जवाबकर्ता सं0 1 व 2 के पिता जोधा की आराजी है। जिसमें विरासत का नामान्तकरण जवाबकर्ता सं0 1 व 2 के पक्ष में खुल गया है। भूमि पैतृक होने के कारण उक्त आराजी में यह प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही जवाबकर्ता सं0 1 के वारिसान नंद सिंह पुत्र श्री रामसिंह, सुनी पुत्र श्री रामसिंह, बिन्दू पुत्र श्री रामसिंह द्वारा न्यायालय में एक राजस्व प्रार्थना वास्ते घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने बाबत् एवं इसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् नन्द सिंह बनाम राम सिंह प्रार्थना पत्र सं0 181/2014 दिनांक 15.12.2014 को पेश हो चुका है जिसमें दिनांक 17.12.2014 को न्यायालय द्वारा पैतृक सम्पत्ति होने के कारण अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किये हुए है। प्रार्थीगण द्वारा गुमराह करके तथ्यों को छिपाकर दावा पेश किया गया है, जो उक्त प्रार्थना का किसी भी प्रकार से कोई औचित्य नहीं है व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य [illegible] जवाबकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अतिरिक्त रूपये [illegible] करवाया गया है। बल्कि जवाबकर्तागण के विधिक वारिसान अपने हित [illegible] स्वत्व के लिए दावा पेश किया है एवं न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित [illegible] जावेगा वह स्वीकार योग्य है। जवाबकर्ता द्वारा कोई दुर्भिसंधी नहीं की है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना में बंटवारे की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

घोषणात्मक डिक्री चाही गई जबकि उक्त आराजी बाबत् पूर्व में ही दिनांक 15.12.2014 को खातेदारी उद्घोषणा बाबत् जवाबकर्ता के विधिक वारिसान द्वारा दावा पेश हो चुका है इसलिए जब तक नन्द सिंह बनाम राम सिंह वगै0 प्रार्थना का निर्णय नहीं होता है तब तक माननीय न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में बंटवारे की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। उक्त प्रार्थना में समान आराजी समान पक्षकार होने से दावा चलने योग्य नहीं है। धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत् उक्त प्रार्थना बाद में पेश किया होने के कारण प्रार्थना का स्थगन होना आवश्यक है। मौके पर किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद प्रार्थीगण द्वारा ही उत्पन्न किये जा रहे है एवं प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में ना होकर जवाबकर्ता सं0 1 व 2 के पक्ष में है एवं विधि का यह सिद्धान्त है कि एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार द्वारा पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने का निवेदन किया।

3.2 अप्रार्थी सं0 3 पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ग्राम ढाणी पुरोहितान के ख0नं0 48 रकबा 13–02–00 भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2067–72 के खाता संख्या 244 में मान सिंह पि0 जोधा हि0 1/2, राम सिंह पि0 जोधा हि0 91/262, शान्ति पत्नि लादू 40/262 कौम रावत सा0 देह के नाम दर्ज है। नामान्तकरण सं0 823 दिनांक 20.05.2014 बैचान से राम सिंह पि0 जोधा द्वारा बैचान करने पर नवीन इन्द्राज राम सिंह पि0 जोधा हि0 71/262 व अणदा पुत्र पांचू जाति रावत हि0 25/262 दर्ज करना स्वीकार है।

4. उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 रामसिंह ने अपने रिकार्डेड हिस्से की आराजी में से 02–00–00 भूमि का बैचान प्रार्थी सं0 1 शान्ति देवी को वर्ष 2010 में किया था एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादिया शान्ति देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज हुआ। इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 1 व 2 के खेत के उत्तरी भाग पर प्रार्थी सं0 2 का संयुक्त स्वामित्व का खेत खसरा संख्या 47 स्थित है, जिसमें प्रार्थी सं0 2 के खेत के सीध में नीचे की ओर अप्रार्थी सं0 1 रामसिंह का हिस्से की कब्जा काश्त भूमि स्थित है, जिसमें 01–00–00 भूमि के बैचान का प्रस्ताव अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी सं0 2 के समक्ष रखा जिस पर प्रार्थी सं0 2 ने अपने खेत की सीध में अप्रार्थी सं0 1 के खेत के हिस्से की 01–00–00 भूमि क्रय करने का अप्रार्थी सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

का प्रस्ताव स्वीकार किया, जिस पर अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी सं0 2 से बैचान प्रतिफल राशि रूपये प्राप्त करके प्रार्थी सं0 2 के पक्ष में 01—00—00 कृषि भूमि का बैनामा दिनांक 21.04.2014 को पंजीबद्ध कराया। उपरोक्त बैनामा के आधार पर प्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 823 दिनांक 20.05.2014 को दर्ज किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने—अपने हिस्से पर वर्तमान समय में कब्जा काश्त है। चूंकि उपरोक्त आराजी ख0नं0 48 रकबा 13—02—00 भूमि का भौतिक बंटवारा हो रखा है, परन्तु रिकार्डेड दस्तावेजी बंटवारा नहीं होने के कारण संयुक्त हिस्सा का कब्जा होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 ने अपने पुत्रों एवं पुत्री से दुरभि सन्धि करके प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने एवं विधि अनुकूल कब्जा काश्त में बदनियति पूर्वक मदाखलत उत्पन्न करने हैरान परेशान करके अतिरिक्त रूपया ऐंठनें की गर्ज से एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रार्थीगण प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान उक्त प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण, उनके ऐजेन्ट, असायनीज, मित्र नौकर चाकर, वारिसान, अटोर्नी आदि व्यक्तियों को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का निवेदन किया कि वे प्रार्थना पत्र के मद सं0 3 में वर्णित कृषि आराजी में प्रार्थीगण के खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त हिस्से में किसी भी प्रकार से मदाखलात एवं दखलंदाजी उत्पन्न ना करे।

4.2 वकील अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम ढाणी पुरोहितान के ख0नं0 48 रकबा 13—02—00 भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का हिस्सा निहित है। जवाबकर्ता सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को दिनांक 20.05.2014 को विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया था। प्रार्थीगण द्वारा गुमराह करके तथ्यों को छिपाकर दावा पेश किया गया है, जो उक्त प्रार्थना का किसी भी प्रकार से कोई औचित्य नहीं है व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। जवाबकर्ता द्वारा कोई दुर्भिसंधी नहीं की है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना में बंटवारे की घोषणात्मक डिक्री चाही गई जबकि उक्त आराजी बाबत् पूर्व में ही दिनांक 15.12.2014 को खातेदारी घोषणा बाबत् जवाबकर्ता के विधिक वारिसान द्वारा दावा पेश हो [illegible] सिंह बनाम राम सिंह वगै0 प्रार्थना का निर्णय नहीं होता है तब तक माननीय न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में बंटवारे की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। मौके पर किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद प्रार्थीगण द्वारा ही उत्पन्न किये जा रहे है एवं प्रार्थी का प्रकरण प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में ना होकर जवाबकर्ता सं0 1 व 2 के पक्ष में है एवं विधि का यह सिद्धान्त है कि एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार द्वारा पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली के साथ संलग्न ग्राम रहीमपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 खाता संख्या नया 114 पुराना 94 ख0नं0 52 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें अप्रार्थीगण की वल्दियत कालू अंकित है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा पेश राशन कार्ड की छायाप्रति व शपथ पत्र अनुसार अप्रार्थीगण की वल्दियत तेजा अंकित है। जिस हेतु राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें तनकियात् कायम की जाकर बाद साक्ष्य सबूत के गुणावगुण आधार पर वाद का विनिश्चयन होना है।

न्यायालय हाजा को यह उचित प्रतीत होता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ताकि वाद बाहुलता नहीं बढ़े।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम रहीमपुरा स्थित ख0नं0 52 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि के मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27\12\2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:33:02 IST
Reason: SelfAttested